न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 284/2014 एल.आर.एक्ट

1. श्रीमती रामीदेवी पत्नी स्व.हरिराम जाति सुथार निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. मनोहरलाल पुत्र स्व.हरिराम जाति सुथार निवासी मिर्जेवाला तहसील व जि. श्रीगंगानगर ।
3. साहबराम पुत्र स्व.हरिराम जाति सुथार निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
4. राजेन्द्र कमार पुत्र स्व.हरिराम जाति सुथार निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. लिछमा पुत्री श्री भूराराम
2. रेशमा पत्नी श्री रिछपाल
3. रामचन्द्र पुत्र श्री रिछपाल — जाति मेघवंशी बराड़, निवासीगण
4. मांगीलाल पुत्र श्री रिछपाल । — जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ
5. रोशनी पुत्री श्री रिछपाल — जिला श्रीगंगानगर ।
6. कविता पुत्री श्री रिछपाल ।
7. ग्राम पंचायत 11 क्यू बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

.....रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः 1— श्याम लदरेचा, अभिभाषक अपीलान्ट ।
2— श्री ज्ञानसिंह, अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6

निर्णय

दिनांक 11.9.2019

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियिम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 24.1.2014, जिसके द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत 11 क्यू बखताना, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर द्वारा स्वीकृत किया गया विरास्तन इन्तकाल सं0 284 दिनांक 5.8.2011 यथावत रखते हए अपीलान्ट की प्रथम अपील खारिज की गयी, के विरुध्द प्रस्तुत हई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूराराम पुत्र बस्तीराम जाति मेघवंशी बराड़ के नाम से चक 11 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के मु0नं0 46, 52, 53, व 56 में कुल 8.323 हैक्टेयर नहरी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । खातेदार भूराराम का देहान्त हो जाने पर मृत्यु प्रमाण पत्र एवम् वारिस प्रमाण पत्र तथा संभागीय आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 13.6.11 के संदर्भ में तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 16.7.11 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण सं0 284 दज कर प्रस्तुत करने पर गाम पंचायत 11 क्यू द्वारा दिनांक 5. 8.11 को उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया । ग्राम पंचायत 11 क्यू द्वारा स्वीकृत किये गये उक्त विरास्तन नामान्तरकरण सं0 284 दिनांक 5.8.2011 के विरुध्द अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रथम अपील सं0 9/2013 प्रस्तुत की गयी, जो न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.1.2014 द्वारा खारिज होने पर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 7 की तलबी की गयी तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । प्रकरण में उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि रेस्पोन्डेंट के पूर्वज भूराराम मेघवंशी के नाम चक 11 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के मु0 नं0 46,52,53 व 56 में कुल 8.323 हैक्टेयर नहरी रकबा था । स्व0 भूराराम ने उक्त रकबा में से 25.06 बीघा रकबा जरिये बैयनामा दिनांक 19.11.62 को अपीलान्ट्स के पति/पिता स्व0 हरिराम सुथार को बेचान कर दिया । तब से आज तक उक्त भूमि पर काश्त करते चले आ रहे हैं । परन्तु रेस्पोन्डेंट द्वारा भूराराम व भूराराम की पत्नी की मृत्यु के पश्चात बिना अपीलान्ट्स को नोटिस दिये रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 द्वारा ग्राम पंचायत 11 क्यू से विरास्तन इन्तकाल सं0 284 दिनांक 5.8.11 स्वीकृत करवा लिया । जबकि विरास्तन इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व भूमि का कब्जा की जांच नहीं की गयी तथा नां ही अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया । यह कि इस भूमि की मल्कीयत के सम्बन्ध में रेस्पोन्डेंट के पूर्वज भूराराम द्वारा न्यायालय सिविल जज श्रीगंगानगर में दावा दखलयाबी अनवान भूराराम बनाम हरिराम प्रस्तुत किया गया था, जो आदेश दिनांक 20.3.65 द्वारा इस आधार पर डिक्री हुआ था कि मुध्दई द्वारा 14,000/– रुपये मुध्दु को दिये जाने के लिए दिनांक 20.9.65 तक अदालत हाजा में जमा कराने की सूरत में कब्जा मुध्दा से पायेगा । रुपये तारीख मजकूर जमा न कराने की सूरत में दावा खारिज होगा । दावा की शर्तानुसार वादी ने डिक्री के अनुसार रुपये 14,000/– दिनांक 20.9.65 तक न्यायालय में जमा नहीं करवाये, परिणामस्वरुप रेस्पोन्डेंट के पूर्वज का दावा खारिज हो गया । उक्त फाइण्डिंग अन्तिम स्थिति क्रो प्राप्त होने के कारण अब उक्त भूमि को लेकर होने वाली सस्त कानूनी कार्यवाहियां रेस–जुडिकेटा के सिध्दान्त से विबन्धित है । प्रकरण में रेस्पोन्डेंट का कब्जा दखलयाबी का दावा दिनांक 20.9.65 को न्यायालय आदेश की पालना नहीं होने से खारिज हो गया तो बिना कब्जे के इन्तकाल सं0 284 कैसे खोला जा सकता है, जबकि कब्जा काश्त अपीलार्थी का है। इस भूमि को रेस्पोन्डेंट द्वारा बिना अधिकारों के दिनांक 18.5.15 को आगे कागजी विक्रय कर दिया है । अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में नजीर 2000(2) 121 एस.सी. अवलोकनीय बताया तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इन्तकाल सं0 284 दिनांक 5.8.2.11 निरस्त करने हेतु निवेदन किया ।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 ने अपनी बहस में अभिभाषक अपीलान्ट ने विवादित भूमि चक 11 क्यू की 25.06 बीघा नहरी भूमि अपीलान्ट के पूर्वज स्व. हरिराम द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 19.11.62 से रेस्पोन्डेंट के पूर्वज स्व. भूराराम से क्रय किया जाना बतलाया है । इसमें विक्रेता स्व. भूराराम मेघवंशी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, जबकि क्रेता सुथार स्वर्ण जाति का व्यक्ति है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42बी के अनुसार ऐसा विक्रय शुरु से ही शून्य है । प्रकरण में अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि सिविल न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.3.65 कन्डीशनल किया गया है, उक्त सिविल दावा कब्जा प्राप्ति की हद तक है । अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण इसलिए दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि अपीलार्थी जिस विक्रय पत्र का सहारा लिये हुए है, वह विक्रय पत्र शुरु से ही शून्य था और शून्य दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में खातेदार भूराराम एवं उसकी पत्नी व पुत्र का देहान्त हो जाने से विरास्तन नामान्तरकरण सं0 284 तहसीलदार के आदेश क्रमांक 238/11.7.11 की पालना में विधिवत रुप से खोला गया एवम् ग्राम पंचायत 11 क्यू द्वारा दिनांक 5.8.11 को नियमानुसार स्वीकृत किया गया है । उक्त विरास्तन नामान्तरकरण सं0 284 दिनांक 5.8.11 के विरुध्द अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गयी थी, जो बाद सुनवाई नियमानुसार खारिज की गयी है। अतः अपीलार्थी की द्वितीय अपील इसी आधार पर खारिज फरमाई जावे ।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपील में न्यायालय का निष्कर्ष निम्नवत है :–

I. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में प्रथम आधार यह लिया है कि अपीलान्ट्स के पिता स्व. हरिराम द्वारा 25.06 बीघा विवादित भूमि दिनांक 19.11.62 को जरिये बैयनामा रेस्पोन्डेंट के पूर्वज स्व. भूराराम से क्रय किया गया है, तब से लगातार अपीलान्ट्स ही इस भूमि पर काबिज है । परन्तु खातेदार भूराराम एवं उसकी पत्नी का स्वर्गवास होने के पश्चात अपीलान्ट्स को सूचित किये बिना, सुनवाई का अवसर दिये बिना ग्राम पंचायत 11 क्यू तहसील श्रीगंगानगर द्वारा रेस्पोन्डेंट के नाम से विरास्तन इन्तकाल सं0 284 दिनांक 5.8.11 गलत रुप से स्वीकृत कर दिया गया ?

न्यायालय के अनुसार स्व0 भूराराम पुत्र बस्तीराम जाति मेघवंशी बराड़ के नाम से चक 11 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के मु0नं0 46, 52, 53, व 56 में कुल 8.323 हैक्टेयर नहरी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । उक्त भूमि में से 25.06 बीघा भूमि स्व. भूराराम द्वारा दिनांक 25.11.62 को स्व. हरिराम सुथार को जरिये बैयनामा विक्रय की गयी है । प्रकरण में हरिजन द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्ति को भूमि का विक्रय होने से एवं राज0काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी के प्रावधान लागू होने से अपीलान्ट के नाम से बैयनामा का नामान्तरकरण आदिनांक दर्ज नहीं हुआ है । प्रकरण में मूल खातेदार भूराराम व उसकी पत्नी केसर एवं पुत्र रिछपाल का क्रमशः दिनांक 12–2–90 एवं 10.7.89 तथा 2.8.99 को देहान्त होने के पश्चात तहसीलदार के आदेश दिनांक 13.6.11 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा विरास्तन का नामान्तरकरण सं0 284 मृत्यु प्रमाण पत्रों एवम् वारिसनामा स्व. भूराराम एवं रिछपाल दिनांक 13.12.10 के आधार पर दिनांक 25.7.11 को विरास्तन इन्तकाल खोला जाकर ग्राम पंचायत 11 क्यू बखताना पंचायत समिति श्रीगंगानगर की बैठक दिनांक 5.8.2011 में पेश करने पर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव अनुसार सरपंच, ग्राम पंचायत 11 क्यू द्वारा स्वाभाविक प्रकिया के अन्तर्गत नियमानुसार ही स्वीकृत किया गया है । अतः अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में लिया गया प्रथम आधार स्वीकार योग्य नहीं है ।

II. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में द्वितीय आधार यह लिया है कि रेस्पोन्डेंट के पूर्वज स्व.भूराराम द्वारा सिविल न्यायाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष दावा दखलयाबी प्रस्तुत किया था, जो न्यायालय द्वारा इस आधार पर स्वीकार किया गया कि 14,000/–रुपये मुध्दु को देने के लिए दिनांक 20.9.65 तक अदालत में जमा कराने की सूरत में कब्जा पायेगा । परन्तु निधारित तिथि तक राशि जमा न होने से दावा खारिज होकर अन्तिम स्थिति को प्राप्त हो गया तथा भूमि को लेकर सभी कार्यवाहियां रेसजुडिकेटा से विबन्धित है ?

न्यायालय के अनुसार रेस्पोन्डेंट के पूर्वज भूराराम के नाम से चक 11 क्यू तहसील श्रीगंगानगर में कुल 8.323 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, उसमें से 25.06 बीघा भूमि 19.11.62 को जरिये बैयनामा विक्रय कर दिया । राजस्थान टीनेन्सी एक्ट जो दिनांक 15.10.55 से लागू हुआ, उसमें धारा 42 बी जोड़ी जाने पर स्व. भूराराम मेघवंशी द्वारा न्यायालय सिविल जज श्रीगंगानगर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायालय द्वारा प्रार्थी स्व. भूराराम का वाद निर्णय दिनांक 20.3.65 द्वारा स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 42–बी अनुसूचित जाति के परिलाभ के लिए जोड़ी गयी है, ताकि अनुसूचित जाति के व्यक्ति

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

द्वारा अपनी जमीन स्वर्ण जाति को बेचकर भूमिहीन होने से बच सके । न्यायालय में निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि डिग्री दखलन्दाजी 25.06 बीघा राशि 14,000/– दिये जाने के लिए दिनांक 20.9.65 तक अदालत में जमा कराने की सूरत में कब्जा मुध्दा से पायेगा व जमा न कराने की सूरत में दावा खारिज होना तस्सवर किया जावेगा । न्यायालय के अनुसार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 42–बी अनुसूचित जाति/जन जाति के बेनिफिट के लिए जोड़ी गयी है, जिसमें मूल भावना यह है कि अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों की कृषि भूमि को बचाया जा सके । इसलिए हम अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन से सहमत नहीं है कि रेस्पोन्डेंट का दावा खारिज होकर अन्तिम स्थिति को प्राप्त हो गया है । क्योंकि सिविल दावा कब्जा दखलयाबी की हद तक कन्डीशनल निर्णीत हुआ था । उक्त निर्णय में यह तथ्य आ चुका था कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के अनुसार ऐसा विक्रय दान या वसीयत अनुसूचित जाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में हो जो अनुसूचित जाति का सदस्य न हो या अनुसूचित जन जाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में हो जो अनुसूचित जन जाति का सदस्य न हो, शून्य होगा । इस प्रकार हम अभिभाषक रेस्पोन्डेंट के इस कथन से सहमत हैं कि अपीलार्थीगण जिस विक्रय पत्र दिनांक 19.11.62 का सहारा लिये हुए हैं, वह शुरु से ही शून्य है ।

7. उपरोक्त विवचन अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रकरण में मूल खातेदार भूराराम व उसकी पत्नी केसर एवं पुत्र रिछपाल का क्रमशः दिनांक 12.2.90 एवं10.7.89 तथा 2.8.99 को देहान्त होने के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा विरास्तन का नामान्तरकरण सं0 284 तहसीलदार के आदेशानुसार मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर खोला जाकर ग्राम पंचायत 11 क्यू बखताना पंचायत समिति श्रीगंगानगर की बैठक दिनांक 5.8.2011 में पेश करने पर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव अनुसार सरपंच, ग्राम पंचायत 11 क्यू पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा स्वाभाविक प्रक्रिया के अन्तर्गत नियमानुसार ही विरास्तन नामान्तरकरण सं0 284 स्वीकृत किया गया है । ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किये गये उक्त विरास्तन नामान्तरकरण के विरुध्द अपीलान्ट्स द्वारा उपखण्ड न्यायालय श्रीगंगानगर में प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील में न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई नियमानुसार ही निर्णय पारित किया गया है। हम अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.1.2014 में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः उपखण्ड न्यायालय श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.1.14 यथावत रखते हुए यह द्वितीय अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है।

8. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.9.19 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर